न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री धुकाराम उर्फ गोरधनराज पुत्र गिनाजी पुरोहित, जाति-पुरोहित, निवासी- हालीवाडा, तहसील- सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, हालीवाडा जरिये सरपंच, तहसील- सिरोही, व जिला- सिरोही
2. श्री प्रताप पुत्र श्री मनरुपा रावल, जाति- रावल,निवासी- हालीवाडा, तहसील- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 16/2018

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार वैष्णव, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 17 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांक:16/2018 दिनांक 16.7.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, हालीवाडा) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वैष्णव ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पिता के पट्टेशुदा मालकी एवं स्वामित्व के दो आवासीय भूखण्ड मय मकान ग्राम हालीवाडा में आये हुये है जिसमें प्रार्थी व उसके परिवारजन कदीमी से शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थी के पिता के नाम से जारी आवासीय भूमि मय मकान के पट्टा संख्या 27 की चतुर्दशी अनुसार पूर्व में सवा पुत्र प्रेमा का थाला, पश्चिम में वागा पुत्र थाना का थाला, उत्तर में खाली पडत भूमि व दक्षिण दिशा में गीमा पुत्र उदा का मकान व आम रास्ता है एवं नाप उत्तर-दक्षिण 40 फीट व पूर्व-पश्चिम 70 फीट कुल 2800 वर्गफीट है। इसी तरह प्रार्थी के दूसरे पट्टे शुदा आवासीय भूमि के पट्टा संख्या 28 में अंकित चतुर्दशी अनुसार [illegible] मण पुत्र चेला का थाला, पश्चिम में वागा पुत्र थाना का [illegible] दक्षिण दिशा में

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

गीमा पुत्र उदा का थाला आया हुआ है व इस पट्टेशुदा भूमि का नाम उत्तर-दक्षिण 40 फीट व पूर्व पश्चिम 70 फीट कुल 2800 वर्गफीट है। प्रार्थी के पिता ने उक्त आवासीय भूखण्ड़ का कब्जा प्राप्त कर पट्टेशुदा भूखण्ड के उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर अपने स्वयं के हक हिस्से में आये भाग में पत्थरों से 2 फीट उंची व 12 फीट लम्बी दीवार निकाली हुई थी, जिसमें प्रार्थी के पिता द्वारा स्वयं के निजी उपयोग के लिये गली छोडी हुई है। इसके चारों ओर पत्थरों से व पेड पौधों की कांटेदार बाड से बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर निजी काम के लिये उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी व उसके वारिसान उक्त आवासीय भूखण्ड का ग्राम पंचायत, हालीवाडा की जानकारी में शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है जिसमें प्रार्थी व उसके परिवार के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार नही है। उक्त पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा में प्रार्थी के पिता के स्वयं का द्वितीय पट्टेशुदा आवासीय मकान है तथा प्रार्थी के पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड के उत्तर दिशा में अप्रार्थी प्रताप पुत्र मनरुपा जी रावल का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा मनरुपा पुत्र धरमा जी रावल के नाम से जारी है तथा इन दोनों आवासीय भूखण्डों के बीच किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक गली नही है, वरन प्रार्थी के पिता द्वारा स्वयं के आवासीय पट्टेशुदा भूखण्ड में से अपने निजी उपयोग के लिये छोडी हुई गली है। इस कारण से ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 16.7.2018 आधारहीन व विधि विरुद्ध है। प्रार्थी के पिता द्वारा स्वंय के पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड़ में निजी उपयोग हेतु छोडी गई गली का सार्वजनिक रास्ते के रुप में उपयोग व उपभोग सम्भव नही है। यह गली मात्र प्रार्थी व उनके परिवारजनों के उपयोग व उपभोग में ही काम आ सकती है। इस प्रकार, प्रार्थी के पट्टेशुदा आवासीय भूमि को रास्ते की भूमि बताकर ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में जो नोटिस जारी किया है वह विधि विरुद्ध है। यह कि अप्रार्थी प्रताप पुत्र मनरुपा जी रावल ने उसके स्वयं के पट्टेशुदा भूखण्ड मय मकान में 7 दरवाजे खोले हुये है। अप्रार्थी प्रताप पुत्र मनरुपा जी रावल ने उसके स्वयं के मकान के दक्षिण दिशा में एवं प्रार्थी के मकान के पश्चिम दिशा में दरवाजा खोलकर शॉर्टकट रास्ता निकालने की नियत से प्रार्थी के भूखण्ड़ में प्रार्थी के पिता द्वारा अपने निजी उपयोग के लिये पट्टेशुदा भूमि में छोडी गई गली में कांटो की बाड व दिवार तोड कर इस गली को सार्वजनिक रास्ते के रुप से उपयोग करना चाहता है जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम् पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस दिनांक 16.7.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के पिता के पट्टा संख्या 27 व 28 में जो नाप पूर्व-पश्चिम अंकित किया है वह 40 फीट एवं उत्तर-दक्षिण में 35 फीट है। इस प्रकार इन दोनों पट्टों का नाप 1400-1400 वर्गफीट है, जो पट्टो से स्पष्ट है। प्रार्थी ने उसके पिता के नाम से बने पट्टा संख्या 27 व 28 का गलत नाप दर्शाकर यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ग्राम हालीवाडा में अप्रार्थी व अन्य लोगों के मकान ... है जिसके पश्चिम दिशा में सार्वजनिक गली आई हुई जो ... आम रास्ते पर मिलती

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला न्यायाधीश
सिरोही (राज.)

है। प्रार्थी ने पश्चिम दिशा की ओर गली में अवैध अतिक्रमण कर पत्थर व कांटों की बाड कर रास्ते को संकरा व अवरुद्ध कर न्यूसेन्स कारित करने से प्रार्थी द्वारा धारा 133 सी.आर.पी.सयी. के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिसमें मुकदमा संख्या 9/2014 है। तत्पश्चात् उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही ने दिनांक 04.6.2018 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने मकान के आगे सार्वजनिक रास्ते पर मिट्टी की पाल बनाकर एवं कांटों की बाड लगाकर बाधा उत्पन्न कर न्यूसेन्स फैलाया है उसे 15 दिन के भतंर अप्रार्थी मौके से हटो देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत अपने साधानों से मौके से अवरोध हटाकर रिपोर्ट पेश करे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा मुकदमा संख्या 9/2014 अर्न्तगत धारा 133 सी. आर.पी.सी. में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.6.2018 की पालना में ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी प्रतापराम को रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही के निर्णय दिनांक 04.6.2018 की पालना में नोटिस जारी किया है और प्रार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.6.2018 के विरुद्ध अपील/निगरानी प्रस्तुत नही की है, ऐसी स्थिति में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पारित निर्णय अंतिम आदेश हो चुका है और इस आदेश की पालना की जाना ग्राम पंचायंत, हालीवाडा के लिये आवश्यक है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर में पारित निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी धुकाराम उर्फ गोरधन राज पुत्र गीनाजी पुरोहित, निवासी- हालीवाडा को उसके रहवासी मकान के सामने आम रास्ते में पत्थर खडे कर व कांटो की बाड बनाकर अतिक्रमण कर आम रास्ते को अवरुद्ध करने से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांक:16/2018 दिनांक 16.7.2018 को जारी किया गया है। पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत, अटल सेवा केन्द्र, हालीवाडा में विविध फौजदारी प्रकरण संख्या 9/2014 अनर्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. अनवान परिवादी प्रतापराम रावल व अन्य ग्रामवासी हालीवाडा जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, कालन्द्री बनाम धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गिनाजी पुरोहित में पारित निर्णय दिनांक 04.6.2018 के अनुसार प्रार्थी जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना, कालन्द्री द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत विरुद्ध धुकाराम उर्फ गोरधन पुरोहित बाबत न्यूसेन्स हटाने का स्वीकार किया जाकर धारा 133(5) सी.आर.पी.सी. के तहत गैरसायल धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गीनाजी पुरोहित, निवासी- हालीवाडा को आदेशित किया गया है कि उसके द्वारा ग्राम सुरापुरा में अपने मकान के आगे सार्वजनिक रास्ते पर मिट्टी व पत्थर की पाल बनाकर कांटे लगाकर बन्द कर दिया है जिससे सभी ग्रामवासियों को आम आने-जाने में असुविधा हो रही है। इस

... पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकार आम जन के उपयोग में आने वाले सार्वजनिक रास्ते पर बाधा उत्पन्न कर न्यूसेन्स फैलाया है उसे 15 दिवस के भीतर मौके से न्यूसेन्स हटा देवे, अन्यथा ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अपने साधनों से उक्त न्यूसेन्स मौके से एक माह में हटा दिया जावेगा, जिसका हर्जा खर्चा ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा इनसे वसूल किया जायेगा तथा सरपंच, ग्राम पंचायत, हालीवाडा को भी आदेशित किया गया है कि यदि उक्त गैरसायल 15 दिवस के भीतर मौके से उक्त न्यूसेन्स नही हटाता है तो एक माह के भीतर न्यूसेन्स मौके से अपने पंचायत के साधनों से हटाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 04.6.2018 की पालना में ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा प्रार्थी धुकाराम उर्फ गोरधन पुत्र गिनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- हालीवाडा को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही के उक्त निर्णय दिनांक 04.6.2018 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील अथवा रिवीजन प्रस्तुत कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही के उक्त निर्णय पर स्थगन आदेश प्राप्त किया हो अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही के इस निर्णय को निरस्त किया गया हो। ऐसी स्थिति में, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.6.2018 अंतिम निर्णय होने से ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा इस निर्णय की पालना में प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है, वह विधि अनुरुप है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

17/3/202

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:23 IST
Reason: SelfAttested